



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938

No. 138]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 170(ब).—अखिल भारतीय, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) विनियमावली, 1958 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) संशोधन विनियमावली, 2017 कहा जा सकेगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) विनियमावली, 1958 नियम 16 में उप नियम (2क) के बाद नियम में निम्नलिखित उपनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(2ख) (क) सेवा के सदस्य द्वारा उप नियम (2) और (2क) के अंतर्गत लिखित रूप में दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को सेवा के सदस्य वापस ले सकते हैं।
(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को वापस लेने का अनुरोध उक्त नोटिस में निर्धारित की गई अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को करना होगा।
(2ग) सेवा के सदस्य द्वारा उप नियम (2) के अंतर्गत स्वैच्छिक की गई सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया जाता है, और सक्षम प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्धारित की गई अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई आदेश जारी नहीं करता है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से लागू होगी।
बशर्ते कि, किसी भी परिस्थिति में जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है तब नोटिस में निर्धारित की गई अवधि की समाप्ति पर केन्द्र सरकार आदेश जारी करें।
(2घ) इस नियम के प्रयोजन से ‘सक्षम प्राधिकारी’ का अर्थ उस प्राधिकारी से होगा जिसे उप नियम (2) और (2क) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस प्राप्त करने की शक्ति प्रदत्त है।”

[फा. सं. 24012/04/2016-अ.भा.से.-II (पेंशन)]

कविता वी. पद्मनाभन, उप सचिव (एस एंड वी)

टिप्पणी : प्रधान नियम 18 अगस्त, 1958 की सा.का.नि. सं. 728(अ), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	526	04 सितम्बर, 1964
2.	527	03 अप्रैल, 1965
3.	528	03 अप्रैल, 1965
4.	529	03 अप्रैल, 1965
5.	572	17 अप्रैल, 1965
6.	215	12 फरवरी, 1965
7.	1915	17 फरवरी, 1966
8.	590	03 मार्च, 1968
9.	687	06 जुलाई, 1974
10.	755	02 जुलाई, 1974
11.	946	07 सितम्बर, 1974
12.	27(अ)	24 जनवरी, 1975
13.	724	14 जून, 1975
14.	2264	23 अगस्त, 1975
15.	2635	08 नवम्बर, 1975
16.	2030	20 दिसम्बर, 1975
17.	128	31 जनवरी, 1976
18.	196	14 फरवरी, 1976
19.	316	06 मार्च, 1976
20.	504	10 अप्रैल, 1976
21.	758	05 जून, 1976
22.	757	05 जून, 1976
23.	1182	14 अगस्त, 1976
24.	1765	25 दिसम्बर, 1976
25.	579	07 मई, 1977
26.	830	02 जुलाई, 1977
27.	831	02 जुलाई, 1977
28.	1598(अ)	6 नवम्बर, 1977
29.	1700(अ)	24 दिसम्बर, 1977
30.	252(अ)	18 फरवरी, 1978
31.	253(अ)	18 फरवरी, 1978
32.	460(अ)	08 अप्रैल, 1978
33.	922(अ)	22 जुलाई, 1978
34.	924(अ)	22 जुलाई, 1978
35.	214(अ)	02 जनवरी, 1979
36.	161(अ)	03 फरवरी, 1979
37.	373(अ)	03 फरवरी, 1979
38.	1151(अ)	15 सितम्बर, 1979
39.	1291(अ)	22 अक्तूबर, 1979

क्रम सं.	सा.का.नि. सं	दिनांक
40.	512(अ)	10 मई, 1980
41.	545(अ)	17 मई, 1980
42.	546(अ)	17 मई, 1980
43.	978(अ)	27 सितम्बर, 1980
44.	248(अ)	07 मार्च, 1981
45.	276(अ)	14 मार्च, 1981
46.	705(अ)	01 अगस्त, 1981
47.	293(अ)	09 जनवरी, 1983
48.	557(अ)	03 जुलाई, 1983
49.	712(अ)	01 अक्तूबर, 1983
50.	33(अ)	21 जनवरी, 1984
51.	559(अ)	15 जून, 1985
52.	813(अ)	31 अगस्त, 1985
53.	275(अ)	22 मई, 1987
54.	343(अ)	03 अप्रैल, 1988
55.	271(अ)	06 जुलाई, 1988
56.	567(अ)	16 जुलाई, 1988
57.	91(अ)	25 फरवरी, 1989
58.	420(अ)	21 फरवरी, 1990
59.	101(अ)	16 फरवरी, 1991
60.	2890(अ)	23 नवम्बर, 1991
61.	308(अ)	19 जून, 1993
62.	717(अ)	19 दिसम्बर, 1997
63.	718(अ)	19 दिसम्बर, 1997
64.	249(अ)	13 मई, 1998
65.	252(अ)	18 मई, 1998
66.	259(अ)	22 मई, 1998
67.	548(अ)	31 अगस्त, 1998
68.	719(अ)	07 दिसम्बर, 1998
69.	35(अ)	14 जनवरी, 1999
70.	702(अ)	01 सितम्बर, 2000
71.	355(अ)	14 मई, 2001
72.	524(अ)	11 जुलाई, 2001
73.	49(अ)	18 जनवरी, 2002
74.	779(अ)	12 नवम्बर, 2002
75.	385(अ)	07 मई, 2003
76.	105(अ)	06 फरवरी, 2004
77.	820(अ)	20 दिसम्बर, 2004
78.	617(अ)	30 सितम्बर, 2005
79.	699(अ)	30 नवम्बर, 2005
80.	727(अ)	20 दिसम्बर, 2005

क्रम सं.	सा.का.ति. सं	दिनांक
81.	360(अ)	12 जून, 2006
82.	20(अ)	12 जनवरी, 2007
83.	58(अ)	31 जनवरी, 2007
84.	184(अ)	09 मार्च, 2007
85.	585(अ)	28 जुलाई, 2011
86.	612(अ)	09 अगस्त, 2011
87.	492(अ)	12 जुलाई, 2013
88.	175(अ)	05 मार्च, 2014